




तारीख हुकम	धासीराम vs जताराम को हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो अहकाम इस हुकम की तारीख में जारी हुए
20/12/22	वकुलाय उपो। वकील अपीलान्ट ने गत आदेश 11/12/22 के सम्मन तलबाना पेश नहीं किये, जो अब शीघ्र पेश करें, जो पेश होने पर तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 11-1-23 को पेश हो। कलक्टर नागौर	
11/1/23	वकुलाय उपो। P.O लाहव अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 8/1/23 को पेश हो। (9/1/23)	
8/1/23	वकुलाय उपो। P.O लाहव प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 11/3/23 को पेश हो। (9/1/23)	
1/3/23	वकुलाय ने अपनी मांगों को लेकर आगामी गोपेशा तक आपाधिक बर्ष स्मजिस्ट रखा है। आगामी P.O लाहव प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 28/3/23 को पेश हो। (9/1/23)	
28/3/23	वकुलाय उपो। वकील अपीलान्ट को रेस्पोंडेंट सं. 2/2, 2/5, 2/6, 2/7 के सम्मन तलबाना पेश करने हेतु इंफॉर्म अवकट दिया जाता है, जो पेश होने पर तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 19/4/23 को पेश हो। कलक्टर नागौर	
11.5.23	पत्रावली पेश हुई। दिनांक 17.04.2023 से राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर होने से प्रकरण में पेशी 10.05.23 एवं तत्पश्चात 24.05.2023 नियत की गई। वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलान्ट श्री निम्बाराम काला ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली आज पेशी पर ली जाकर अपील जरिये विद्वावल खारिज करने हेतु प्रस्तुत किया, जो शांमि० किया गया। वकील अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि हस्तगत अपील में पक्षकारान आपस में एक ही परिवार के हैं। पक्षकारान रेस्पोंडेंटस् ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है जिससे अपीलान्ट अपील को चलाना नहीं चाहते हैं, का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का जरिये विद्वावल खारिज करने का निवेदन किया है। कलक्टर, नागौर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11-5-23 (दस्तावेज)	<p>अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील तहसीलदार मेड़ता द्वारा ग्राम उंचारड़ा कला के नामान्तरण संख्या-266 दिनांक 20.05.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। वकील अपीलान्ट के कथनानुसार हस्तगत अपील में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं वह अपील को चलाना नहीं चाहते है एवं हस्तगत अपील को जरिये विद्वावल खारिज करने का निवेदन किया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट जरिये विद्वावल खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार मेड़ता को उनका मूल स्यूटेशन लौटाते हुए आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  (पीयुष समारिया) कलक्टर, नागौर </p>	<p>   21/5/23 (21/5/23) 15/5/23 (21/5/23) 15/5/23 (21/5/23) </p>